न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर मध्यप्रदेश ग्वालियर

विविध- 9063-PBR-17 (9)

प्रकरण क्रं. /पीवीआर/2017

एम.के. नारायण डव्हलपर्स द्वारा कृष्ण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री जगन्नाथप्रसाद अग्रवाल निवासी–मैदाई मोहल्ला ग्वालियर

बनाम

कलेक्टर जिला ग्वालियर

एस.एल.आर. जिला ग्वालियर

नायब तहसीलदार वृत बोहड़ापुर जिला ग्वालियर

श्री P. N. Sharma (Adv.)
द्वारा आज दि. 09/03/17 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार श्रीमान जी की सेवा में प्रस्तुत है:-

1. यहकि प्रार्थी के शामलाती स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजी सर्वे क्रं. 1177 ग्राम बरा तहसील व जिला ग्वालियर में स्थित है ।

2. यहकि, प्रार्थी की उक्त भूमि के सम्बनध में कलेक्टर जिला ग्वालियर के द्वारा बिना प्रार्थी को बुलाए नाना प्रकार के आदेश पारित कर दिए गए और राजस्व अभिलेखो में उनकी प्रविष्टि करवा दी गई । यह आदेश इस प्रकार है – **प्रकरण क्रं. 40/15-16/बी-121 से प्रकरण क्रं. 9/14-15/अ-3 से एम.के. नारायण बनाम सुबोधचन्द्र बोथरा सर्वे क्रं. 1177, 1178 जांच पुर्नविलोकन हेतु श्रीमान कलेक्टर महोदय के यहां लंबित है । जांच होनें तक प्रकरण मे यथास्थिति रखी जावे । इसके पश्चात नस्मी 8-भू.अं/19-11/कम्प्यूटर/2016 प्रभारी अधिकारी एवं कार्यालय कलेक्टर जिला ग्वालियर के आदेश क्रं. क्यू/रीडर/नजूल/2016/6152 से श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 28.12.2016 से ग्राम बरा के भूमि सर्वे क्रं. 1177 रकबा 11 बीघा 14 विस्वा को शासकीय चरनोई गैरमुमकिन दर्ज की जाती है । दिनांक 24.01.2017 को नायब तहसीलदार द्वारा भूमि स्वामी सूचित किया गया । दिनांक 28.01.17 को तहसीलदार द्वारा पूर्व में भूमि प्रकारनिजी से शासकीय में संशोधन किया गया ।**

क्रमशः....2

विविध 9063-PBR/17 ग्वालियर

5-9-2017

आवेदक की ओर से श्री पी०एन० शर्मा अभिभाषक एवं अनावेदक की ओर से श्री आर०पी० पालीवाल अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक के अभिभाषक द्वारा बताया गया कि उन्हें कलेक्टर के आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। अतः कलेक्टर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे 15 दिवस की अवधि में आवेदक को कलेक्टर के आदेश की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।

अध्यक्ष

(9)

Noted
R.P. Pal